प्रेस नोट
दिनांक 15.10.2025

"मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना छपिया पुलिस द्वारा 02 मनचलो को किया गया गिरफ्तार–

गोण्डा। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में समस्त थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के दृष्टिगत निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना छपिया के ग्राम तेजपुर स्थित वलीउद्दीन इण्टर कालेज की छात्राओं द्वारा मिशन शक्ति टीम को फीडबैक के दौरान लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें कुछ मनचलों द्वारा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की सूचना दी गयी थी। शिकायत के आधार पर मिशन शक्ति टीम द्वारा मनचलों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी। अभियान के दौरान थाना छपिया की एण्टी रोमियों टीम द्वारा थाना क्षेत्र के खपरीपारा स्थित गायत्री इंटर कॉलेज के बाहर छात्राओं पर फब्तियां कसते हुए 01 मनचले को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना छपिया पर मु0अ0सं0 366/25 धारा 296 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार ग्राम तेजपुर स्थित वलीउद्दीन इंटर कॉलेज के गेट के बाहर छात्राओं पर फब्तियां कसते हुए एक और मनचले को भी मिशन शक्ति टीम द्वारा पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 367/25 धारा 296 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कर कार्यवाही की गयी। मिशन शक्ति टीम द्वारा ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति पुलिस का यह अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 15.10.2025

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा फातिमा इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक

नारी सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में गोण्डा पुलिस की प्रेरणादायक पहल

गोण्डा। शासन के "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित किए जाने हेतु चलाए जा रहे जनजागरुकता कार्यक्रमों के दृष्टिगत आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा फातिमा इण्टर कॉलेज, गोण्डा में छात्र-छात्राओं को संबोधित किया गया और बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास, जागरूकता एवं स्वावलंबन की भावना का विकास करना है। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों, हेल्पलाइन सेवाओं, आत्मरक्षा के उपायों एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति विस्तृत जानकारी दी गई। अपने उद्बोधन में पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल ने कहा कि—
"मिशन शक्ति महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का प्रतीक है। किसी भी समाज के विकास का वास्तविक आधार उसकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। प्रत्येक बालिका का आत्मविश्वासी, शिक्षित और सजग होना समाज के सशक्त निर्माण के लिए अनिवार्य है।" और बताया कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपद गोण्डा में पुलिस विभाग द्वारा निरंतर स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत भवनों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम सभाओं में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, उपलब्ध हेल्पलाइन सेवाओं (1090, 112, 1098, 108, 181, 1930 आदि) तथा साइबर सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने छात्राओं को *सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग* की जानकारी देते हुए कहा कि— "डिजिटल युग में साइबर अपराध, फेक प्रोफाइल, अशोभनीय संदेश और फोटो के दुरुपयोग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में प्रत्येक छात्रा को सजग रहना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में दें।" कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अत्यंत उत्साह के साथ सहभागिता की और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधीक्षक महोदय ने धैर्यपूर्वक समाधान किया। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए स्वयं पर विश्वास और तत्परता को सबसे प्रभावी हथियार बताया। "मिशन शक्ति का सबसे सशक्त पहलू 'स्वयं पर विश्वास' है। जब प्रत्येक बालिका आत्मविश्वासी और सजग होगी, तभी समाज वास्तव में सुरक्षित और सशक्त बन सकेगा।" कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को मिशन शक्ति जागरुकता पंपलेट्स वितरित किए गए।

इस अवसर पर कोतवाली नगर की एंटी रोमियो टीम, कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता गण, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.10.2025

एसटीएफ लखनऊ व थाना परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में रु0 50,000/- ईनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-09/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित रु0 50,000/- ईनामिया वांछित अभियुक्त- राम सेवक पुत्र बरसाती नि० ग्राम सरदार पुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को लखनऊ - गोण्डा मुख्य मार्ग ग्राम अहरौरा करनैलगंज से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.01.2025 को थाना परसपुर में 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी से बचने हेतु अभियुक्त रामसेवक (गैंगलीडर) फरार चल रहा था। जिसकी जल्द से जल्द गिऱफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन श्री अमित पाठक द्वारा 50,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 14.10.2025 को एसटीएफ लखनऊ व परसपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गैंगस्टर राम सेवक पुत्र बरसाती को लखनऊ - गोण्डा मुख्य मार्ग ग्राम अहरौरा करनैलगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु चोरी/लूट की घटनाओं को कारित किया करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राम सेवक पुत्र बरसाती नि० ग्राम सरदार पुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-09/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना परसुपर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0-244/24, धारा 392,411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-355/24, धारा 305,317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-357/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-341/22, धारा 308,323,504,506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. निरीक्षक आशुतोष कुमार त्रिपाठी एसटीएफ लखनऊ मय हमराह ।
02. उ0नि0 अनुज त्रिपाठी थानाध्यक्ष परसपुर मय हमराह ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.10.2025

रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में वामा सारथी संघ के तत्वावधान में पुलिस परिवारों के सशक्तिकरण हेतु वामा स्वावलंबन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन–

गोण्डा। शासन की मंशा के अनुरूप वामा सारथी संघ के तत्वावधान में पुलिस परिवारों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से वामा स्वावलंबन केन्द्र के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसी क्रम में दिनांक 13.09.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित बहुउद्देश्यीय हॉल में उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के लाभार्थियों/सदस्यों हेतु एक परिचयात्मक कार्यशाला/अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यशाला में उपस्थित प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न विषयों जैसे स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास, हस्तकला एवं लघु उद्योग, कम्प्यूटर एवं डिजिटल शिक्षा, सिलाई–कढ़ाई एवं घरेलू उत्पाद निर्माण, संचार एवं व्यक्तित्व विकास कौशल आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी थी तथा प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण फॉर्म वितरित किए गए थे, जिनमें पुलिस परिवारों के सदस्यों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। प्रथम चरण में कुल 162 प्रतिभागियों द्वारा चयनित कोर्सों हेतु अपनी रुचि प्रस्तुत की गई थी। प्रतिभागियों की उत्सुकता एवं सक्रिय सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 15.10.2025 को अपराह्न 15:00 बजे से 16:00 बजे तक पुनः वामा स्वावलंबन कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को चयनित कोर्सों के संबंध में जानकारी, आई०डी० कार्ड की प्रक्रिया, प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित ड्रेस कोड तथा प्रशिक्षण कार्यशाला की समय–सारणी (टाइमिंग) से संबंधित दिशा–निर्देश प्रदान किए गए। कार्यशाला के अंत में आगामी प्रशिक्षण मॉड्यूल को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उसके दायरे को विस्तारित करने पर विचार–विमर्श किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी ने कार्यक्रम को पुलिस परिवारों के कल्याण, आत्मनिर्भरता एवं समग्र उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस परिवारों के सदस्य उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए और आगामी प्रशिक्षण मॉड्यूल में सहभागिता की सहमति व्यक्त की।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।